निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 01/2022
दायरा दिनांकः–14.02.2022
निर्णय दिनांकः– 13.7.24

उनवान

मुस0 लाडबाई आयु 34 वर्ष पुत्री बसंता जाति बैरवा निवासी ग्राम सागोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल मुकाम हरिओम नगर कच्ची बस्ती बाबा रामदेव कोटा जिला कोटा।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 13.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम सागोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में भूमियां खसरा नम्बरान 125 रकबा 17.07 बिस्वा खसरा नम्बर 136 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 137 रकबा 3 बिघा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 139 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 201/127 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल 5 किता आराजीयात मवाजी 33 बीघा 15 बिस्वा अवस्थित है जो प्रार्थीया तथा अन्य व्यक्तियों के नाम शामलाती खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकार्ड भू0 अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही है। इसी प्रकार से ग्राम सागोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में भूमियों खसरा नम्बर 126 रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 128 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा कुल 2 किता आराजीयात मवाजी 16 बीघा 04 बिस्वा अवस्थित है जो प्रार्थीया तथा अन्य व्यक्तियों के शामलाती खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकार्ड भू–अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थी तहसीलदार छबडा के सम्बधित रेवेन्यू अधिकारियों से सहवन से भूलवश प्रार्थीया के बोलतें नाम लाडू के नाम से इंतकाल तस्दीक कर उक्त वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड भू–अभिलेख जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम लाडु दर्ज कर दिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थीया को जमाबन्दी की नकल लेने पर दिनांक 14.12.2021 को प्राप्त हुई प्रार्थीया का सही एवं पूरा नाम लाडबाई है भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में भी प्रार्थीया का नाम लाडबाई ही दर्ज है। उक्त वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड भू–अभिलेख जमाबन्दी में प्रार्थीया का अधूरा नाम लाडु दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमियों पर केसीसी लोन आदि स्वीकृत नही करा पा रही है और अन्य राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:29:02 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
छबड़ा जिला बारां (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

योजनाओं से भी लाभावित नही हो पा रही है इस कारण प्रार्थीया को भंयकर रूप से आर्थिक क्षति हो रही है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम सागोडा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 32 नकल जमाबन्दी ग्राम सागोडा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 33 पेश की गई। तहसीलदा छबडा से रिपोर्ट ली गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सागोडा तहसील छबडा में स्थित है जो प्रार्थीया व अन्य व्यक्तियो के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में भूलवश प्रार्थीया का नाम लाडबाई के स्थान पर लाडु नामान्तरण दर्ज करते समय दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीया का बोलता नाम लाडु था बोलतें नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया का अन्य दस्तावेजो में लाडबाई दर्ज है प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से राज्य सरकार से मिलनें वाले सभी लाभों से वंचित रहना पड रहा है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में लाडू के स्थान पर लाडबाई दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम सागोडा तहसील छबडा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 32 नकल जमाबन्दी ग्राम सागोडा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 33 में प्रार्थीया का नाम लाडू दर्ज है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। जॉच रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम सागोडा के खाता संख्या 33 रकबा 8.5363 है0 भूमि में लाडू पुत्री बसन्ता हिस्सा 1/28 दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है प्रार्थीया लाडबाई के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ लाडू एवं लाडबाई दोनो नाम एक ही महिला के है लाडबाई पुत्री बसन्ता जाति बैरवा ग्राम में अन्य कोई महिला नही है। लाडबाई का नाम राजस्व रिकार्ड में लाडू के स्थान पर लाडबाई दर्ज करने की अनुशषा की है तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम सागोडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 125 रकबा 17.07 बीघा खसरा नम्बर 136 रकबा 8.06 बीघा खसरा नम्बर 137 रकबा 3.14 बीघा खसरा नम्बर 139 रकबा [illegible] बीघा खसरा नम्बर 201/127 रकबा 1.15 बीघा खसरा नम्बर 125 रकबा 6.03 बीघा खसरा नम्बर 128 रकबा 10.01 बीघा में दर्ज लाडू के स्थान पर लाडबाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:29:02 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
छबड़ा जिला बारां (राज.)